

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन) बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./131/समग्र शिक्षा/समा.शि./2022-23

बिलासपुर, दिनांक 15/01/2022

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रं.1087/समग्र शिक्षा/24/14/सेकेण्डरी/2022 रायपुर, दिनांक 04.07.2022 के अनुसार समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर के तहत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर निश्चित अवधि हेतु कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2022 तक आमंत्रित किया जाता है।

पद का विवरण एवं आरक्षण -

क्र.	पदनाम	पद संख्या	अनु.जन.जाति			अनारक्षित			अनु.जाति			अ.पि.व.		
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग
1	स्पेशल एजुकेटर	5	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0

आवश्यक योग्यता -

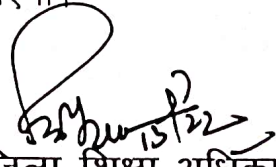
1. स्पेशल एजुकेटर पद हेतु -

- स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा अर्थात् निःशक्तता पर आधारित) में अथवा बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात् निःशक्तता पर आधारित)।

नियम एवं शर्तें -

- उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 20000/- (रु. बीस हजार) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

9. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
10. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
- स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का – 50 प्रतिशत
 - स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का – 25 प्रतिशत
 - बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का – 25 प्रतिशत
 - बी.एड. (सामान्य शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का – 12.5 प्रतिशत
 - डी.एड. दो वर्षीय (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का – 12.5 प्रतिशत
- नोट –
1. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल विशेष शिक्षा में प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।
 2. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा में बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उन्हें विशेष शिक्षा में बी.एड. के प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।
11. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
14. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
15. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, कमरा नं. 21, समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से ही स्वीकार होगी।
16. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2022 को शाम 05 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन) बिलासपुर (छ.ग.)

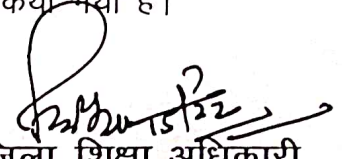
// प्रेस विज्ञापित //

पत्र क्र./132/SS/IED/2022-23

बिलासपुर, दिनांक 15/8/2022

समग्र शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित समावेशी शिक्षा के तहत बिलासपुर जिले के विकासखण्डों में स्पेशल एजुकएटर के 5 पदों के लिए आवेदन 05.08.2022 तक आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी NIC के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप

जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल कमरा नं. 21, जिला बिलासपुर के सूचना पटल पर चरपा किया गया है।


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी

जिला — बिलासपुर छ.ग. को उपरोक्त विज्ञापित प्रकाशित करने हेतु सम्प्रेषित।

(कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,
समग्र शिक्षा जिला – बिलासपुर छ.ग.

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट फोटो

1. आवेदित पद का नाम -
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) -
- आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)
केपिटल लेटर में -
3. पिता/पति का नाम -
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) -
- ब. जन्म तिथि (शब्दों में) -
- स. दिनांक 01.07.2022 को - आयु.....वर्ष.....माह.....दिन.....

द. आयु सीमा में छूट चाहते हैं हां/नहीं

इ. आयु सीमा में छूट का आधार -

5. लिंग (पुरुष/महिला) -
6. शैक्षणिक योग्यता -

क्रं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि. वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाई स्कूल परीक्षा						
2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा						
3	स्नातक परीक्षा						
4	स्नातकोत्तर परीक्षा						
5	विशेष शिक्षा में बी. एड.						
6	विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा						
7	अन्य						

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता -
- दूरभाष नं. सहित
-

8 स्थायी पता

9 क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा -
/अपिव के सदस्य है यदि है तो जाति
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है
यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल
निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न
करें।

11. क्या आवेदक विकलांग है। यदि हां तो
विकलांगता संबंधी जिले मेडिकल बोर्ड
का जीवीत सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति
संलग्न करें

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित सूची -

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं
संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है
तो मेरी नियुक्ति/उम्मीदवारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर